भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1378

जिसका उत्तर मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

एनएलएसए का विज़न दस्तावेज

1378 #श्री सतीश चंद्र दुबे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबों को शीघ्र विधिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लाए गए विज़न दस्तावेज को लागू करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक को सुदृढ़ करने और महत्वाकांक्षी जिलों में विधिक सहायता का प्रसार करने पर विचार कर रही है, ताकि कोई भी गरीब न्याय से वंचित न रहे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने समाज के कमजोर और निर्धन वर्ग के लिए विधिक सेवाओं के परिदान को सुदृढ करके और उसमें सुधार करके समावेशी विधिक प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए विजन दस्तावेज (जिसे विजन 2020 कहा गया है) तैयार किया है, जिसके जमीनी स्तर बेहतर परिणाम मिलें हैं। विजन 2020 में निम्नलिखित लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है और विधिक सेवा प्राधिकरण इस विजन को प्राप्त करने के लिए इन लक्ष्यों के अधीन परिकल्पित विभिन्न क्रियाकलापों को कार्यान्वित कर रहे हैं:-

(i) न्यायालय आधारित मामलों में विधिक सहायता की क्वालिटी में वृद्धि करना।

(ii) कैदियों की दी जाने वाली विधिक सहायता का बढ़ाया जाना ।

(iii) फ्रन्ट कार्यालयों और विधिक सेवा क्लीनिकों का सुदृढीकरण ।

(iv) विधि महाविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करके न्याय तक पहुंच को अधिकतम बनाना ।

(v) स्थानीय आवश्यकताओं के साथ सुनियोजित लक्ष्योन्मुख आउटरीच कार्यक्रम ।

(vi) अपराध के पीड़ित व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता ।

(vii) लोक अदालतों का सुदृढीकरण ।

(viii) दांडिक न्याय के प्रारंभिक प्रक्रमों पर विधिक सहायता को प्रोत्साहन देना ।

(ग) और (घ) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तालुक न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय तक सभी स्तरों पर विधिक सेवा संस्थाएं स्थापित की गई हैं । लगभग 23000 विधिक सेवा क्लीनिक जेलों, न्यायालयों, किशोर न्यायालय बोर्ड (जेजेबी), सामुदायिक केन्द्रों, ग्रामों/ ग्रामीण क्षेत्रों और विधि महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों में, निःशुल्क विधिक सेवाएं जरुरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती हैं। फ्रन्ट कार्यालयों और विधिक सेवा क्लीनिकों को सुदृढ़ करने के लिए, नाल्सा का निम्नलिखित विजन हैः—

(i) फ्रन्ट कार्यालय समन्वयकों और फ्रन्ट कार्यालय वकीलों को विनियोजित करना ।

(ii) विधिक सहायता प्राप्त मामलों और आवेदनों तथा फ्रन्ट कार्यालयों में विधिक सहायता प्राप्त मामलों की दैनिक मामला सूचियों के आंकड़े बनाए रखना।

(iii) 115 महत्वाकांक्षी जिलों में विधिक सेवा क्लीनिकों के कार्यात्मक दिवसों की आवृति में वृद्धि करना।

(iv) 115 महत्वाकांक्षी जिलों में से प्रत्येक महत्वाकांक्षी जिले में महिलाओं के लिए अनन्य रुप से एक क्लीनिक समर्पित करना।

इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग का टेलि विधि कार्यक्रम, जो विधिक सहायता की जरुरत वाले नागरिकों की फोन या वीडियों कान्फ्रेसिंग सुविधा के माध्यम से पहचान करता हैं और उन्हें वकीलों से जोड़ता है, सितम्बर 2019 से देश के 115 महत्वाकांक्षी जिलों में आरंभ किया गया है।

****